

रांची. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भाजपा के 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत रांची पूर्वी जिला की ओर से रक्तदान शिविर आयोजित किया गया. शिविर का उद्घाटन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने किया. इसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं, छात्र-छात्राओं और आम लोगों ने हिस्सा लिया. कुल 164 यूनिट रक्त संग्रह किया गया. आदित्य साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सेवा कार्यों के माध्यम से मनाना कार्यकर्ताओं के लिये गौरव का विषय है. रक्तदान जरूरतमंद मरीजों की सहायता का महत्वपूर्ण माध्यम है. भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री डॉ प्रदीप कुमार वर्मा ने कहा कि रक्तदान महादान है और स्वस्थ लोगों को [illegible]-समय पर रक्तदान के लिये आगे आना चाहिए. मौके पर जिला अध्यक्ष धीरज महतो, कार्यक्रम संयोजक अमित चरण, विश्वविद्यालय के महानिदेशक प्रो गोपाल पाठक, कुलपति प्रो सी जगनाथन समेत पार्टी कार्यकर्ता व गणमान्य लोग मौजूद थे.

स्थान का पता :-
उद्यान निदेशालय, तृतीय तल्ला, कृषि भवन,कॉके रोड, राँची–834008
E-mail : ddhranchi@rediffmail.com
PR 390024 Agriculture(26-27)#D

Ranchi

ह0/–
निदेशक उद्यान,
झारखण्ड, राँची

बिक्री की घोषणा

फॉर्म सं. 22 [विनियमन 37(1) देखें]

वसूली अधिकारी का कार्यालय ऋण वसूली न्यायाधिकरण, रांची, झारखण्ड

वसूली प्रक्रिया सं. 342/2024 **वाद सं. ओ. ए. वाद सं. 676/2019**

बैंक एवं वित्तीय संस्थानों के लिए बकाये ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 के द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के अंतर्गत बिक्री की घोषणा

पंजाब नेशनल बैंक, फिरायालाल बिल्डिंग, राँची बनाम श्रीमती ममता देवी एवं अन्य

सेवा में,

(1). श्रीमती ममता देवी, पति - मुकेश प्रसाद, निवासी: फ्लैट नं. 3C, आशा रेजीडेंसी, साईं शिरडी अस्पताल के पीछे, बरियातू, रांची - 834009

(2). मुकेश प्रसाद, R/o फ्लैट नं. 3C, आशा रेजीडेंसी, साईं शिरडी अस्पताल के पीछे, बरियातू, रांची - 834009

1. जबकि आप प्रमाणपत्र के अनुसार भुगतान करने योग्य ब्याज एवं लागत सहित **पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, रांची** द्वारा जारी किये **2019 का ओ.ए. वाद सं. 676** में वसूली प्रमाणपत्र के संबंध में आपके द्वारा भुगतेय **₹26,57,174.00 (छब्बीस लाख सत्तावन हजार एक सौ चौहत्तर रुपये मात्र)** की राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं।

2. और चूंकि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रमाणपत्र की संतुष्टि हेतु खंड 5(a) में उल्लिखित कुर्क की गई संपत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।

3. और चूंकि **09.09.2026** की स्थिति के अनुसार उक्त प्रमाणपत्र के तहत **₹26,57,174.00 (छब्बीस लाख सत्तावन हजार एक सौ चौहत्तर रुपये मात्र)** की राशि के साथ-साथ वादकालीन एवं भविष्य का ब्याज @8.80% मासिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 11.07.2019 से दावे की पूर्ण एवं अंतिम वसूली तक, इसके अलावा ₹29,000/- (उनतीस हजार रुपये मात्र) का खर्च देय होगा।

4. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि, स्थगन के किसी भी आदेश की अनुपस्थिति में, उक्त संपत्ति को **19.11.2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे के बीच, यदि आवश्यक हो तो दोपहर 12:00 बजे के बाद 5 मिनट की अवधि के विस्तार के साथ PSB Alliance Private Limited के वैबसाइट https://www.baanknet.com के माध्यम से "ऑनलाइन ईलेक्ट्रोनिक बोली" से ई-नीलामी और बोली** द्वारा बेचा जायेगा।

विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करें : वसूली अधिकारी का कार्यालय, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, रांची एवं सम्पत्ति नीरीक्षण के लिये श्री संजीव कुमार, मुख्य प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, ARMB शाखा, राँची, मोबाइल सं. 7300705205 से संपर्क करें।

4.1 बिक्री उपर्युक्त नामित प्रमाणपत्र देनदारों (certificate debtors) की संपत्ति की होगी, जैसा कि नीचे खंड 5(a) की तालिका में उल्लिखित है।

4.2 यदि उक्त प्रमाणपत्र में उल्लिखित बकाया राशि, ब्याज और व्यय (बिक्री की लागत सहित) बिक्री संचालित करने वाले अधिकारी को प्रस्तुत कर दिए जाते हैं, या उसके संतोषजनक रूप से यह प्रमाण प्रस्तुत कर दिया जाता है कि ऐसे प्रमाणपत्र की राशि, ब्याज और व्यय का भुगतान अधोहस्ताक्षरी को कर दिया गया है, तो बिक्री रोक दी जाएगी।

4.3 बिक्री के संबंध में कर्तव्य निर्वहन करने वाला कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति, बेची गई संपत्ति के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न तो बोली लगाएगा, न ही उसे अधिगृहीत करेगा और न ही उसमें कोई हित प्राप्त करने का प्रयास करेगा। बिर्क्री आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची तथा उसके तहत बनाए गए नियमों में निर्धारित शर्तों के अधीन होगी।

4.4 नीचे खंड 5(a) की संलग्न तालिका में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार दिए गए हैं, परंतु अधोहस्ताक्षरी इस उद्घोषणा (proclamation) में किसी भी त्रुटि, गलत बयानी या लोप (omission) के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

5.(a) वह आरक्षित मूल्य (reserve price) जिसके नीचे संपत्ति नहीं बेची जाएगी, **विवरण के अनुसार** है:-

सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	ईएमडी
अनुसूची 'A' **(संपत्ति प्रमाणपत्र देनदार संख्या 1 से संबंधित है)** यह अचल बंधक आवासीय संपत्ति प्रमाणपत्र देनदार संख्या 1, श्रीमती ममता देवी, पति - मुकेश प्रसाद की है, जो विक्रय विलेख (Sale Deed) संख्या 2889 दिनांक 01.06.2007 के तहत फ्लैट संख्या 3C, तीसरी मंजिल (3rd Floor), क्षेत्रफल 880 वर्ग फीट है। यह खाता संख्या 42 के अंतर्गत आर.एस. प्लॉट संख्या 213, सब-प्लॉट संख्या 213/8 पर निर्मित है, जो मौजा/ग्राम: बरियातू, थाना: बरियातू, थाना संख्या 193, जिला: रांची में स्थित है। **इसकी सीमाएं (चौहद्दी) इस प्रकार हैं :** उत्तर: सीढ़ी, दक्षिण: बालकनी, पूर्व: बालकनी, पश्चिम: फ्लैट संख्या 3B	रू. 26,28,000/-	रू. 2,62,800/-

(6). इच्छुक बोलीदाताओं को सभी औपचारिकताएँ पूरी करते हुए BAANKNET पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करना आवश्यक है। EMD को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार BAANKNET पोर्टल के माध्यम से दिनांक 17.11.2026 को अपराह्न 04:00 बजे तक जमा करना होगा और तत्पश्चात वे दिनांक 19.11.2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक आयोजित की जाने वाली ई-नीलामी में भाग लेने के पात्र होंगे। यदि नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में बोली लगाई जाती है, तो समापन समय स्वतः 5 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाएगा।

(7). इच्छुक बोलीदाताओं को CH Bank के समन्वय से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार **दिनांक 17.11.2026 को अपराह्न 04:00 बजे तक BAANKNET** पोर्टल के माध्यम से EMD का भुगतान करना होगा। Certificate Holder Bank सभी इच्छुक बोलीदाताओं की सूची, आवश्यक EMD/BID विवरण सहित, सेवा प्रदाता को विवरण अग्रेषित करने से पूर्व अवलोकन हेतु Recovery Officer को भेजेगा।

(8). नीलामी पूर्ण होने पर, सेवा प्रदाता सफल बोलीदाता (H1) की EMD राशि को **RTGS/NEFT/EFT** के माध्यम से Recovery Officer, DRT, Ranchi के खाते में जमा करेगा, जिसका **Current Account No. 31598921087, IFS Code: SBIN0007507, State Bank of India, Indrapuri Branch, Ranchi** है। असफल बोलीदाता(ओं) की EMD राशि CH Bank द्वारा BAANKNET पोर्टल के माध्यम से उन्हें वापस कर दी जाएगी।

(9). बोली में वृद्धि की जाने वाली राशि **रु. 1,00,000/-** होगी। बोली की राशि अथवा बोलीदाता के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में, संपत्ति को तत्काल पुनः नीलामी के लिए रखा जाएगा।

(10). सफल बोलीदाता (H1) घोषित किए जाने पर, उसे BAANKNET पोर्टल पर पहले से जमा EMD के समायोजन के पश्चात बोली राशि का 25% निर्धारित नियमों के अनुसार **RTGS/NEFT/EFT के माध्यम से "Recovery Officer, DRT, Ranchi Current Account No. 31598921087, State Bank of India, Indrapuri Branch, Ranchi"** के खाते में तत्काल जमा करना होगा।

(11). सफल बोलीदाता (H1) को अंतिम बोली राशि की शेष **75% राशि संपत्ति की बिक्री की तारीख से 15 वें दिन या उससे पहले,** उपर्युक्त **पैरा 10 में उल्लिखित विवरण के अनुसार उक्त खाते में जमा करनी होगी।** यदि 15वाँ दिन रविवार या अन्य अवकाश का दिन है, तो 15वें दिन के बाद आने वाले प्रथम बैंक कार्य दिवस को निर्धारित माध्यम से राशि जमा की जाएगी। उपरोक्त के अतिरिक्त, सफल बोलीदाता (H1) को **Registrar, DRT, Ranchi के पक्ष में Demand Draft के माध्यम से रु. 1,000/- तक की राशि पर 2% की दर से तथा उक्त रु. 1,000/- से अधिक की राशि पर 1% की दर से poundage fee भी जमा करनी होगी।**

(12). निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक होने की स्थिति में, बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के पश्चात संपत्ति को पुनः बेचा जाएगा। बिक्री के खर्चों को पूरा करने के पश्चात जमा राशि, यदि अधोहस्ताक्षरी उचित समझे, तो सरकार के पक्ष में जब्त की जा सकती है तथा चूककर्ता क्रेता संपत्ति अथवा उस राशि के किसी भी भाग पर अपने सभी दावों से वंचित हो जाएगा, जिसके लिए संपत्ति को बाद में बेचा जा सकता है।

(13). उच्चतम बोलीदाता को संपत्ति का क्रेता घोषित किया जाएगा, बशर्ते कि उसके द्वारा लगाई गई बोली की राशि आरक्षित मूल्य से कम न हो। जब प्रस्तावित मूल्य इतना स्पष्ट रूप से अपर्याप्त प्रतीत हो कि उसे स्वीकार करना उचित न हो, तो उच्चतम बोली को अस्वीकार/स्वीकार करना अधोहस्ताक्षरी के विवेकाधिकार में होगा।

(14). संपत्ति **"जैसा है जहाँ है आधार", "जैसा है जो है आधार" तथा "बिना सहारे"** के आधार पर बेची जाएगी। बोलीदाताओं को सलाह/सावधान किया जाता है कि वे अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व SRO के साथ-साथ राजस्व अभिलेखों से सत्यापन कर लें तथा संपत्ति की प्रकृति, विवरण, स्थिति, भार/बंधक, ग्रहणाधिकार, प्रभार, वैधानिक देयताओं आदि के संबंध में स्वयं को संतुष्ट कर लें। सरकार/स्थानीय निकाय को देय वैधानिक बकाया/देनदारियों आदि, यदि कोई हों, जो बिक्री सूचना/निविदा दस्तावेज में दर्शाई गई हो, क्रेता(ओं) द्वारा वहन की जाएंगी।

(15). **कब्जे की सुपुर्दगी :- इससे संबंधित सभी खर्च एवं आनुषंगिक शुल्क नीलामी क्रेता द्वारा वहन किए जाएंगे।** प्रमाणपत्र धारक बैंक/ वित्तीय संस्थान द्वारा बिक्री राशि के समायोजन/विनियोजन के अनुरोध पर तभी विचार किया जाएगा, जब नीलामी क्रेता द्वारा यह मेमो प्रस्तुत किया जाएगा कि उसने स्वामित्व विलेख प्राप्त कर लिए हैं तथा संपत्ति का कब्जा सुपुर्द कर दिया गया है।

(16). अधोहस्ताक्षरी को इस बिक्री उद्घोषणा के किसी भी भाग में संशोधन, परिवर्तन या स्पष्टीकरण करने तथा किसी या सभी बोलियों को, यदि उन्हें अनुचित पाया जाता है, स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी को स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है।

रांची में इस न्यायाधिकरण के हस्ताक्षर एवं मुहर के तहत, दिनांक 09 सितम्बर, 2026 को प्रदान किया गया।

वसूली अधिकारी-II
डीआरटी, राँची

विवाद/ त्रुटि की स्थिति में अंग्रेजी पाठ्य मान्य होगा।

ल, अशजागत कॉम्प्लेक्स, ठाकुरबाड़ी
00003, फोन: 0612-2260079,
fbaroda.bank.in

002 के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु

लेनदार के पास बंधक/भारित है, जिसका कब्जा
र पर बेचा जायेगा (इसमें फ्लैट के अन्दर रखी
दार(रों) / [illegible]ककर्ता(ओं) / जमानतदार(रों) /

की स्थिति नात्मक ातिक)	ई-नीलामी की तिथि एवं समय	सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय
ौतिक	12-10-2026 13:00 अपराह्न् से 17:00 अपराह्न् तक	21-09-2026 से 11-10-2026 तक एवं 11:00 पूर्वाह्न् से 4:00 अपराह्न् तक

न एवं https://baanknet.com का अनुसरण

नियम 8(6) के साथ पठित)
और व्यय का भुगतान करके प्रतिभूतियों को
के साथ वसूल की जाएगी।

प्राधिकृत अधिकारी
ॉफ बड़ौदा, आर.ओ.एस.ए.आर.बी, पटना